

शिव बरन

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील सं. 3008 सन् 2025)

16 जुलाई 2025

[न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची]

विचारणीय मुद्दा

मामला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के औचित्य से संबंधित है , जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत जारी समन को रद्द कर दिया गया था।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 319 - अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति - धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग - उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ धारा 319 के तहत जारी समन को रद्द कर दिया - चुनौती:

धारित किया गया: विचारण न्यायालय द्वारा पारित समन आदेश बहाल किया गया और आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया - धारा 319 के तहत प्रदत्त शक्ति का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए - हालांकि, जहां साक्ष्य से संभावित अभियुक्त की मिलीभगत का पता चलता है , वहां प्राधिकारी के लिए धारा 319 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है - उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी की निर्दोषता के संबंध में पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों पर पूरी तरह भरोसा करते हुए एक लघु विचारण का संचालन किया - इसने घायल प्रत्यक्षदर्शी द्वारा प्रत्यर्थी का नाम न लेने के मेरिट पर एक स्पष्ट निष्कर्ष देने में गलती की, जो गलत धारणा पर आधारित है और तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है - उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

बुटि की कि गवाहों ने अपराध के हेतुक के बारे में कुछ नहीं कहा है, कि बयान सामान्य आशय के पहलू पर चुप हैं, घटना के घटित होने के तरीके या क्रम का अभाव है, या यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि हमलावर कौन है - प्रत्यर्थी, हालांकि आरोप पत्र में शामिल नहीं प्रथमदृष्टया, प्रत्यर्थी की मिलीभगत का सुझाव देता है, उसकी विशिष्ट भूमिका बताई गई है, यह दर्शाता है कि वह घटनास्थल पर लाठी से लैस होकर मौजूद था - उच्च न्यायालय ने इस आवेदन पर निर्णय देते समय उसी मानक को लागू करने का प्रयास किया जो सामान्यतः अभियुक्त की दोषसिद्धि या अन्यथा का निर्धारण करने के लिए विचारण के अंत में उपयोग किया जाता है, जबकि उसे यह विचार करना चाहिए था कि संतुष्टि का अपेक्षित मानक विचारण के बाद अंतिम निर्णय पारित करने के लिए आवश्यक मानक से कम है। [अनुच्छेद 22-26]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 319 - अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति - धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग - अभियुक्त न होने वाले व्यक्ति को समन करने के लिए वैधानिक अपेक्षाएँ - धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय विचारण न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत - बताए गए। [अनुच्छेद 14, 15]

#### उद्धृत केस लॉ

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य [2014] 2 एससीआर 1: (2014) 3 एससीसी 92; लाभुजी अमृतजी ठाकोर बनाम गुजरात राज्य [2018] 13 एससीआर 822: (2019) 12 एससीसी 644; रमेश चन्द्र श्रीवास्तव बनाम उ.प्र. राज्य [2021] 6 एससीआर 219: (2021) 12 एससीसी 608; एस. मोहम्मद इस्पहानी बनाम योगेन्द्र चांडक [2017] 10 एससीआर 29: (2017) 16 एससीसी 226; ओमी बनाम म.प्र. राज्य [2025] 1 एससीआर 266: (2025) 2 एससीसी 621; बृजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य [2017] 3 एससीआर 374: (2017) 7 एससीसी 706 - संदर्भित।

#### अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973.

#### कीवर्ड की सूची

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत जारी समन को रद्द करना ; धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत शक्ति का प्रयोग; हेतुक; सामान्य आशय; आक्रामक; अंतिम निर्णय का चरण; समन आदेश।

वाद उद्धृत

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 3008 वर्ष 2025  
सीआरआर सं. 5517 सन् 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 23.07.2024 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता : गौरव, शौर्य कृष्ण, शिवेंद्र विक्रम सिंह, रवि भूषण, गौरव श्रीवास्तव।  
प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता : आदर्श उपाध्याय, जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, सुश्री पल्लवी कुमारी, शशांक पचौरी, अंसार अहमद चौधरी, शोएब अहमद खान, संदीप गरौसा, मो. अनस चौधरी, मोहम्मद शरयाब अली, सुश्री शेहला चौधरी, सुश्री आलिया बानो जैदी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति संजय करोल

अनुमति प्रदान की गई।  
2. अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील , इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण सं. 5517 सन् 2023 में पारित दिनांक 23 जुलाई 2024 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें अपराध सं. 303 सन् 2017 से उत्पन्न, सत्र विचारण सं. 109 सन् 2018 में अपर सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी<sup>1</sup> द्वारा पारित दिनांक 28 सितंबर 2023 के आदेश

<sup>1</sup> एतस्मिनपश्चात 'विचारण न्यायालय'

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

के तहत, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973<sup>2</sup> की धारा 319 के तहत, मौजूदा प्रत्यर्थी सं. 2, राजेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया गया था।

3. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

(i) 29 नवंबर 2017 को कथित रूप से हुई एक घटना के संबंध में दो एफआईआर दर्ज की गईं। पहली एफआईआर<sup>3</sup> अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता, शिव बरन<sup>4</sup> द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860<sup>5</sup> की धारा 302, 307, 504 और 506 के तहत चार व्यक्तियों, राहुल, दिनेश, राजेंद्र और शिव मूरत<sup>6</sup> के खिलाफ दर्ज की कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त आरोपियों ने सामान्य आशय से उसके घर में प्रवेश किया और उसके भाई पर हमला किया, जिसे अस्पताल ले जाने पर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

(ii) दूसरी प्राथमिकी<sup>7</sup> सुरेश कुमार नामक व्यक्ति ने भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323, 504, 506 और 325 के तहत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने उसके घर में घुसकर गालियाँ दीं और प्रथम सूचनादाता और उसकी पत्नी पर हमला किया। यहाँ, हम स्पष्ट कर दें कि मामला केवल पहली प्राथमिकी से संबंधित है।

(iii) विवेचना के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर विवेचना अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी राजेंद्र प्रसाद ने कथित अपराध में कोई भूमिका नहीं निभाई है और इसलिए, पहली एफआईआर के संबंध में, भा.दं. सं. की धारा 302, 307, 504 और 506 सपठित धारा 34 के तहत किए गए अपराधों के संबंध में केवल आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् दिनेश यादव और शिव मूरत यादव के संबंध में 24 फरवरी 2018 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

(iv) उक्त विचारण के दौरान, गवाह पीडब्लू 1 - शिव बरन यादव, पीडब्लू 2 - राज बरन और पीडब्लू 3 - सुभाष यादव को आरोपी राजेंद्र प्रसाद यादव की भूमिका के बारे में गवाही देते हुए पाते हुए, शिकायतकर्ता ने धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत एक आवेदन दिया, जिसमें उसका नाम सह-अभियुक्त के रूप में जोड़ने की प्रार्थना की गई , जो आवेदन,

2 एतस्मिनपश्चात् 'दं.प्र.सं.'

3 मुकदमा अपराध सं. 303 सन् 2017

4 प्रथम सूचनादाता

5 एतस्मिनपश्चात् 'भा.दं.सं.'

6 मूरत और मुरत को रिकॉर्ड में एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है।

7 मुकदमा अपराध सं. 315 सन् 2017

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

हालांकि शुरू में सत्र न्यायालय द्वारा 31 जनवरी 2022 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा रिमांड के कारण, अंततः विचारण न्यायालय द्वारा 28 सितंबर 2023 के आदेश के तहत स्वीकार किया गया।

(v) राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा दायर याचिका में, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित समन के उक्त आदेश को रद्द करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि पीडब्लू-1 ने अभियुक्त की कोई भूमिका नहीं बताई है और पीडब्लू 2 और 3 की गवाही को उक्त अभियुक्त को फंसाने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घटना के विवरण और तरीके के संबंध में कोई विशिष्ट संदर्भ नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने अपराध के लिए कोई हेतुक नहीं बताया था। जब तक किसी मजबूत हेतुक का सबूत न हो, किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन नहीं किया जा सकता। उक्त अभियुक्त की मिलीभगत को इंगित करने वाले प्रथम दृष्टया किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में त्रुटि की।

(vi) उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता /प्रथम सूचनादाता हमारे समक्ष उपस्थित है।

4. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5. यहां दं.प्र.सं. के प्रासंगिक प्रावधान को उद्धृत करना समीचीन होगा:

“319 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति - (1) जहां किसी अपराध की विवेचना या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकेगा जो उसने किया प्रतीत होता है।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, वहां उसे पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, मामले की परिस्थितियों के अनुसार गिरफ्तार किया जा सकता है या समन किया जा सकता है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

(3) न्यायालय में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को, यद्यपि वह गिरफ्तार न हो या समन पर न हो, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की विवेचना या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा जो उसने किया प्रतीत होता है।

(4) जहां न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करता है, वहां-

(क) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और साक्षियों की पुनः सुनवाई की जाएगी;

(ख) खंड (क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मामला इस प्रकार आगे बढ़ सकेगा मानो ऐसा व्यक्ति उस समय अभियुक्त था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर विवेचना या विचारण प्रारंभ किया गया था।

(प्रभाव वर्धित)

6. उक्त धारा के अवलोकन से यह एक सक्षमकारी प्रावधान प्रतीत होता है , जो न्यायालय को विवेचना या विचारण के दौरान एकत्रित साक्ष्य के आधार पर , ऐसे व्यक्ति की सहभागिता का खुलासा करते हुए उसे अभियुक्त बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार देता है, भले ही उसे अभियुक्त के रूप में उद्धृत न किया गया हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो कि *जूडेक्स डैमनाटूर कम नोसेंस एब्सोल्विट्योर* (न्यायाधीश की निंदा तब होती है जब दोषी बरी हो जाता है ) के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रावधान न्यायालय पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि वास्तविक अपराधी बिना दण्डित हुए बच न पाए, ताकि यह एक निष्पक्ष सुनवाई का हिस्सा हो। हालाँकि , उक्त धारा के तहत शक्ति का प्रयोग केवल रिकॉर्ड पर लाई गई ठोस सामग्री की संतुष्टि के बाद ही किया जाना चाहिए , इसमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शक्ति का प्रयोग अत्यंत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए , न कि लापरवाही, निर्दयता या बेपरवाही के साथ - क्योंकि इसका उद्देश्य केवल न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, न कि किसी व्यक्ति को परेशान करने या कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का साधन बनना है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।*

7. यह प्रश्न कि क्या धारा 319(1) दं.प्र.सं. में प्रयुक्त शब्द 'साक्ष्य' का अर्थ केवल जिरह द्वारा परीक्षित साक्ष्य है या मुख्य परीक्षण में दिए गए बयान इस धारा के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त होंगे, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य**<sup>8</sup> मामले में निम्नलिखित तरीके से उत्तर दिया गया है:

"89. ... एक बार मुख्य परीक्षण हो जाने के बाद, बयान अभिलेख का हिस्सा बन जाता है। यह कानून के अनुसार और सही अर्थों में साक्ष्य है, क्योंकि अधिक से अधिक, इसका खंडन किया जा सकता है। किसी साक्ष्य का खंडन या विवादित किया जाना विचार, प्रासंगिकता और विश्वास का विषय बन जाता है, जो न्यायालय द्वारा निर्णय का चरण है। फिर भी यह साक्ष्य है और यह ऐसी सामग्री है जिसके आधार पर न्यायालय प्रथम दृष्टया किसी अन्य व्यक्ति की सहभागिता के बारे में राय बना सकता है जो अपराध से जुड़ा हो सकता है।

90. जैसा कि *मोहम्मद शफी* [*मोहम्मद शफी बनाम मोहम्मद रफीक*, (2007) 14 एससीसी 544: (2009) 1 एससीसी (क्रि) 889: एआईआर 2007 एससी 1899] और *हरभजन सिंह* [(2009) 13 एससीसी 608: (2010) 1 एससीसी (क्रि) 1135] में कहा गया है, दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए केवल इतना आवश्यक है कि अदालत को यह प्रतीत हो कि कोई अन्य व्यक्ति, जो मुकदमे का सामना नहीं कर रहा है, भी अपराध में शामिल हो सकता है। इस शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्वापेक्षा उस प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के समान है जो मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने के लिए प्राप्त होना चाहिए। इसलिए, ऐसी राय पर पहुँचने के लिए पूर्व-शर्तों के संबंध में कोई कठोर सूत्र नहीं बनाया जा सकता और न ही बनाया जाना चाहिए, और यदि मजिस्ट्रेट/न्यायालय मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भी आश्वस्त हो जाता है, तो वह धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस धारा में "ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए" के स्थान पर "ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है" शब्दों का भी प्रयोग किया गया

है। इसलिए, इस स्तर पर परीक्षण और जिरह करके और उसके बाद ऐसे व्यक्ति के प्रत्यक्ष कृत्य पर निर्णय देकर लघु- विचारण की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, यह लघु- विचारण ही उस व्यक्ति के अभियुक्त के रूप में अभियोग लगाए जाने के अधिकार को प्रभावित करेगा, न कि किसी जिरह के न होने से, क्योंकि धारा 319 दं.प्र.सं. की उप-धारा (4) के अनुसार, वह व्यक्ति एक नए मुकदमे का हकदार होगा जहाँ उसे अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने और बचाव पक्ष के गवाहों से पूछताछ करने और उस पर अपनी दलीलें पेश करने सहित सभी अधिकार प्राप्त होंगे। इसलिए, मुख्य परीक्षण के आधार पर भी, न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, बशर्ते न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य ऐसे हैं कि प्रथम दृष्टया ऐसे व्यक्ति को मुकदमे का सामना कराने की आवश्यकता है। वास्तव में, जिरह द्वारा परीक्षित न किया गया मुख्य परीक्षण, निस्संदेह अपने आप में एक साक्ष्य है।

...

92. इस प्रकार, उपरोक्त के मद्देनजर, हम मानते हैं कि धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत शक्ति का प्रयोग मुख्य परीक्षण के पूरा होने के चरण में किया जा सकता है और अदालत को तब तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि उक्त साक्ष्य का जिरह पर परीक्षण नहीं किया जाता है क्योंकि यह अदालत की संतुष्टि है जिसे अपराध में मुकदमे का सामना नहीं करने वाले किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) की मिलीभगत के संबंध में अदालत द्वारा दर्ज किए गए कारणों से प्राप्त किया जा सकता है।

...

117.4. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ सामग्री का खुलासा किया जाता है, उसे केवल मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाता है और ऐसी स्थिति में धारा 319(4) दं.प्र.सं. के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही संज्ञान लेने के चरण से शुरू होनी

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



चाहिए, अदालत को प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ सबूतों की जिरह द्वारा जांच के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।"

(प्रभाव वर्धित)

8. इस न्यायालय ने *लाभुजी अमृतजी ठाकोर बनाम गुजरात राज्य*<sup>9</sup> मामले में *हरदीप सिंह (उपरोक्त)* में निर्धारित संतुष्टि परीक्षण को दोहराया था, जो आरोप तय करते समय प्रथम दृष्टया मामले के लिए अपेक्षित संतुष्टि से अधिक है, लेकिन दोषसिद्धि के लिए आवश्यक संतुष्टि से कम है:

"9. हरदीप सिंह [हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 3 एससीसी 92: (2014) 2 एससीसी (क्रि) 86] में ऊपर दिए गए मुद्दे (iv) का उत्तर देते हुए, निर्णय के पैरा 105 और 106 में, संविधान पीठ द्वारा निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:

"105...

106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि यद्यपि साक्ष्य से केवल प्रथम दृष्टया मामला ही स्थापित किया जाना है अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, जरूरी नहीं कि जिरह की कसौटी पर कसा जाए, इसके लिए उसकी मिलीभगत की मात्र संभावना से अधिक मजबूत सबूत अपेक्षित है। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह आरोप तय करते समय किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, अगर अखंडित रहता है, तो दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, अदालत को धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 दं.प्र.सं. में यह प्रावधान करने का उद्देश्य कि यदि "यह सबूत से प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो आरोपी नहीं है, कोई अपराध किया है" तो "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है" शब्दों से स्पष्ट है। इस्तेमाल किए गए शब्द "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है" नहीं हैं। इसलिए, धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत कार्य करने वाली अदालत के लिए अभियुक्त के

---

9 (2019) 12 SCC 644

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(प्रभाव वर्धित)

9. इस न्यायालय ने **रमेश चंद्र श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**<sup>10</sup> मामले में दोहराया कि धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस सबूत पेश किए जाएं और लागू किया जाने वाला परीक्षण ऐसा हो जो आरोप तय करते समय लागू किए गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक हो।

10. इस धारा के अंतर्गत, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकता है जिसका नाम प्राथमिकी में होने के बावजूद, विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपपत्र में उसे आरोपित नहीं किया गया है, बशर्ते कि वैधानिक अधिदेश पूरे किए गए हों। **ए.स. मोहम्मद इस्पहानी बनाम योगेंद्र चांडक** "मामले में, यह टिप्पणी की गई थी:

"35. यह रेखांकित करना आवश्यक है कि जब शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम दिया जाता है, लेकिन पुलिस, विवेचना के बाद, उस व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं पाती है और उसे शामिल किए बिना आरोप -पत्र दायर करती है, तो न्यायालय शक्तिहीन नहीं होता है, और सम्मन जारी करने के चरण में, यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को आरोपी के रूप में सम्मन किया जाना चाहिए, भले ही उसका नाम आरोपपत्र में न हो, तो वह ऐसा कर सकता है। उस चरण में, शिकायतकर्ता को भी एक विरोध याचिका दायर करने का अवसर दिया जाता है, जिसमें विचारण न्यायालय से उन अन्य व्यक्तियों को भी सम्मन करने का आग्रह किया जाता है, जिनका नाम एफआईआर में था, लेकिन चार्जशीट में शामिल नहीं थे। एक बार वह चरण बीत जाने के बाद, न्यायालय अभी भी धारा 319 दं.प्र.सं. के आधार पर शक्तिहीन नहीं है। हालाँकि, यह धारा तब लागू होती है जब मुकदमे के दौरान प्रस्तावित अभियुक्त के खिलाफ कुछ सबूत सामने आते हैं।"

(प्रभाव वर्धित)

---

10 (2021) 12 SCC 608

11 (2017) 16 SCC 226

[हरदीप सिंह (उपरोक्त) ; और लाभुजी अमृतजी ठाकोर (उपरोक्त) को भी देखें]

11. हाल ही में, इस न्यायालय ने *ओमी बनाम मध्य प्रदेश राज्य*<sup>12</sup> मामले में उन सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत किया है जिन्हें अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए:

“19. धारा 319 दं.प्र.सं. के संबंध में कानून के सिद्धांतों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

19.1. धारा 319 दं.प्र.सं. और उपरोक्त दोनों निर्णयों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि निचली अदालत को निस्संदेह अधिकार है कि वह अपने समक्ष अभियुक्त न होने वाले किसी भी व्यक्ति को अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए शामिल कर सकती है, बशर्ते कि अदालत कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो कि जिन व्यक्तियों को अभियुक्त नहीं बनाया गया है, उन्हें मुकदमे का सामना करना चाहिए। यह भी स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को, भले ही उसका नाम शुरू में प्राथमिकी में अभियुक्त के रूप में दर्ज किया गया हो, लेकिन उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दायर न किया गया हो, मुकदमे का सामना करने के लिए भी शामिल किया जा सकता है।

19.2. विचारण न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में जोड़ने के लिए ऐसा कदम केवल उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही उठा सकता है, न कि आरोप-पत्र या केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, क्योंकि आरोप-पत्र या केस डायरी में निहित ऐसी सामग्री साक्ष्य नहीं बनती है।

19.3 धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय की शक्ति, एफआईआर में संबंधित व्यक्ति का नाम दर्ज करने या न दर्ज करने से नियंत्रित या शासित नहीं होती। न ही यह संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर है। जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि धारा 319 में प्रयुक्त वाक्यांश "कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है" उस अभियुक्त को अपने प्रभाव से

---

12 (2025) 2 SCC 621

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बाहर रखता है जिसे पुलिस ने धारा 169 के अंतर्गत रिहा कर दिया है और जिसका नाम आरोप-पत्र के कॉलम 2 में दर्शाया गया है, इस तर्क को खारिज किया जा सकता है। उक्त पद स्पष्ट रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल करती है जिस पर न्यायालय द्वारा पहले से मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है और धारा 319(1) जैसे प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे व्यक्ति भी, जिन्हें पुलिस ने विवेचना के दौरान छोड़ दिया है, लेकिन जिनके विरुद्ध अपराध में उनकी संलिप्तता दर्शाने वाले साक्ष्य आपराधिक न्यायालय के समक्ष आते हैं, उक्त पद के अंतर्गत आते हैं।

19.4. विवेचना अधिकारी के अभिलेखों पर विचार करके नए अभियुक्तों को शामिल करने के आवेदन को खारिज करना निचली अदालत के लिए उचित नहीं होगा। जब शिकायतकर्ता का साक्ष्य स्वीकार करने योग्य पाया जाता है, तो विवेचना अधिकारी की संतुष्टि का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि विवेचना अधिकारी की संतुष्टि को ही निर्णायक माना जाए, तो धारा 319 का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

(प्रभाव वर्धित)

12. हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि **एस. मोहम्मद इस्पहानी (उपरोक्त)** में इस न्यायालय ने पहले ही टिप्पणी की है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत 'साक्ष्य' पर विचार किया जाना चाहिए, और दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों को केवल पुष्टि सामग्री के रूप में माना जा सकता है, न कि स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में।

13. **बृजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य**<sup>13</sup> मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए 'साक्ष्य', दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत पहले से मौजूद बयानों से अधिक कुछ नहीं थे; विचारण न्यायालय को विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों पर गौर करना चाहिए था, जो इसके विपरीत संकेत देते थे और यह देखना चाहिए था कि क्या अभियुक्त व्यक्ति की मिलीभगत की संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य रिकॉर्ड पर आए हैं।

### **हमारा दृष्टिकोण**

14. उपर्युक्त चर्चा से अभियुक्त के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को सम्मन भेजने के लिए

---

13 (2017) 7 SCC 706

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निम्नलिखित वैधानिक आवश्यकताएं होंगी:

(क) ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है;

(ख) विवेचना या विचारण के दौरान एकत्रित साक्ष्य से उसकी संलिप्तता का पता चलता है; और

(ग) ऐसे अपराध के लिए, उस पर पहले से ही विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है।

15. इस धारा के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय विचारण न्यायालय को जिन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए वे हैं:

(क) यह प्रावधान कानून के उस क्षेत्र का एक पहलू है जो पीड़ितों और समाज को व्यापक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि अपराध करने वाले कानून की ताकत से बच न सकें;

(ख) न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह दोषियों को दण्डित किये बिना न छोड़े;

(ग) विचारण न्यायालय के पास व्यापक लेकिन अनियंत्रित शक्ति नहीं है क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग केवल उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है, न कि विवेचना के दौरान एकत्र की गई किसी अन्य सामग्री के आधार पर;

(घ) विचारण न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने के लिए शक्तिहीन नहीं है जिसका नाम एफआईआर या चार्जशीट में नहीं है; यदि प्रस्तुत साक्ष्य उसे दोषी ठहराते हैं तो उन्हें पक्षकार बनाया जा सकता है;

(ङ) इस शक्ति का प्रयोग नियमित रूप से या लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केवल तब किया जाना चाहिए जब मिलीभगत की मात्र संभावना के अलावा मजबूत या ठोस सबूत उपलब्ध हों;

(च) अपेक्षित संतुष्टि की डिग्री प्रथम दृष्टया मामले की तुलना में बहुत सख्त है, जो आरोप तय करते समय आवश्यक है;

(छ) न्यायालय को इस स्तर पर लघु- विचारण नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रयुक्त पद है

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

‘ऐसे व्यक्ति पर विचारण किया जा सकता है’ न कि ‘विचारण किया जाना चाहिए’।

16. मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, एफआईआर के प्रासंगिक अंश को पुनः प्रस्तुत करना उचित है, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 का नाम संदर्भित किया गया था:

“....मैं अपने भाई यदुनाथ के साथ अपने दरवाजे पर धूप सेंक रहा था, तभी मेरे ही गांव के राहुल व दिनेश पुत्रगण हुरबलाल, राजेंद्र पुत्र लल्लू, शिवमुस्त पुत्र कामता, मुझे जान से मारने की नीयत से हाथों में लाठी, डंडे व कुल्हाड़ी लेकर मेरे दरवाजे पर आ धमके और गाली-गलौज करने लगे....”

17. पीडब्लू 1 ने 21 अगस्त 2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज अपने बयान में कहा:

“...मैं और मेरा भाई यदुनाथ दरवाजे पर बैठे धूप सेंक रहे थे। मेरे ही गाँव के राहुल, दिनेश, राजेश, शिवमूरत लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लेकर आए और गाली-गलौज करने लगे...”

18. केस सं. 146 सन् 2018<sup>14</sup> और सत्र विचारण सं. 109 सन् 2018 के एकीकरण के बाद 10 मार्च 2021 को पीडब्लू1 का बयान फिर से दर्ज किया गया, जहां उसने गवाही दी:

“..मैं और मेरा भाई यदुनाथ दरवाजे पर धूप सेंक रहे थे। मेरे ही गाँव के राजेंद्र, दिनेश, राहुल और शिवमूर्ति कुल्हाड़ी लिए हुए थे। दिनेश और राहुल के हाथ में लाठियाँ थीं... राजेंद्र के पास एक डंडा था। वे सब इकट्ठे होकर गालियाँ देने लगे...”

19. तीनों उद्धृत बयानों के अवलोकन से पता चलता है कि इस गवाह ने लगातार चार लोगों के नाम लिए हैं; केवल 21 अगस्त 2018 के बयान में राजेंद्र की जगह राजेश का जिक्र है। बाकी तीन नाम वही रहे। न सिर्फ उसका नाम लिया गया है, बल्कि उसे एक विशिष्ट भूमिका भी सौंपी गई है, यानी लाठी (अपराध का हथियार) लेकर चलना।

20. यहां हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे दिनांक 3 मार्च 2025 के आदेश से स्पष्ट है, कि राजेश और राजेंद्र एक ही व्यक्ति हैं।

21. पीडब्लू 2 ने यह भी गवाही दी कि जब उसके पिता और चाचा धूप सेंक रहे थे, तब ‘लाठी

---

14 आरोपी राहुल के विरुद्ध

से लैस राजेंद्र' एक ही उद्देश्य से उसके घर के दरवाजे पर आया और उस पर और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। पीडब्लू 3 ने यह भी गवाही दी कि राजेंद्र, जिसके पास लाठी थी, ने उसके पिता और दादा दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया।

22. तीनों कथित प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य, यद्यपि प्रथम दृष्टया, राजेंद्र (प्रत्यर्थी सं. 2) की संलिप्तता का संकेत देते हैं; उसे एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह घटनास्थल पर लाठी-डंडे से लैस होकर मौजूद था। उच्च न्यायालय ने इस आवेदन पर निर्णय देते समय वही मानक लागू करने का प्रयास किया जो आमतौर पर मुकदमे के अंत में अभियुक्त की दोषसिद्धि या अन्यथा का निर्धारण करने में उपयोग किया जाता है। जबकि उसे यह विचार करना चाहिए था कि संतुष्टि का अपेक्षित मानक, मुकदमे के बाद अंतिम निर्णय पारित करने के लिए आवश्यक मानक से कम है।

23. राजेंद्र, हालांकि आरोपपत्र में शामिल नहीं है, प्राथमिकी में उसका नाम है, और अब तक के साक्ष्य प्रथम दृष्टया उसकी भूमिका को उजागर करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर, उस पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है; उसे अंततः दोषी ठहराया जाएगा या नहीं, यह मुकदमे के अंत में एक विस्तृत विवेचना द्वारा तय किया जाएगा। उसकी दोषसिद्धि पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। प्रथम सूचनादाता ने स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया है कि वह अन्य लोगों के साथ एक ही इरादे से आया था, गाली-गलौज और मारपीट की, जिससे उसके भाई की मृत्यु हो गई, और अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं।

24. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 2 की निर्दोषता के संबंध में पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों के आधार पर पूरी तरह से एक लघु विचारण शुरू किया। इसने पीडब्लू 1, घायल प्रत्यक्षदर्शी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 का नाम न लेने के गुण-दोषों पर एक स्पष्ट निष्कर्ष देने में त्रुटि की, जो हमें गलत धारणा पर आधारित लगता है और रिकॉर्ड से उभरती तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में त्रुटि की कि गवाहों ने अपराध के हेतुक के बारे में कुछ नहीं कहा है; कि बयान सामान्य आशय के पहलू पर चुप हैं; घटना के घटित होने के तरीके या क्रम का अभाव है; या यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि हमलावर कौन है। ये सभी प्रश्न, अन्य बातों के अलावा, प्रासंगिक हैं या नहीं, यह अंतिम निर्णय के चरण में विचार करने का विषय है।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

25. यह एक स्थापित कानून है कि धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। हालाँकि, जहाँ साक्ष्य से संभावित अभियुक्त की मिलीभगत का पता चलता है, वहाँ प्राधिकारी के लिए उक्त धारा के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है।

26. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है। 23 जुलाई 2024 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है, और सत्र विचारण सं. 109 सन् 2018 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित 28 सितंबर 2023 का समन आदेश बहाल किया जाता है।

27. सभी पक्षों को 28 अगस्त, 2025 को विचारण न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। हम उन्हें पूर्ण सहयोग करने और अनावश्यक रूप से कोई स्थगन न लेने का निर्देश देते हैं। मुकदमे को 18 महीने की अवधि के भीतर पूरा करने के लिए शीघ्रता बरती जाती है।

28. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

*मामले का परिणाम :* अपील स्वीकार की गई।

*हेडनोट्स द्वारा :* निधि जैन

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।*